संख्या- 31 / 1065 / चार-2015-17(ते0वि0आ0)/12

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2015

विषयः- तेंरहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत अन्तराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय , फैजाबाद के मूलभूत विकास कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि तेंरहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत अन्तराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय , फैजाबाद के मूलभूत विकास कार्य हेतु शासन के पत्र संख्या- 478/चार-2013-17(ते0वि0आ0)/12 दिनांक 25 फरवरी,2013 द्वारा धनराशि रू0 45.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी किन्तु अन्तराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय , फैजाबाद निर्मित होकर संस्कृति विभाग को हस्तानान्तरित नहीं होने के कारण प्रश्नगत धनराशि समर्पित की गयी, अतएव तद्नुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्तराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, फैजाबाद के मलभूत विकास कार्य हेतु कार्यदायी संस्था -उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 239.46 लाख का परीक्षण करते हुए धनराशि रू0 228.35 लाख मूल्यांकित /अनुमोदित किया गया है, की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल महोदय प्रस्तावित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम किश्त तथा द्वितीय किश्त की कुल समेकित धनराशि रू0 95.00 लाख (रूपये पंचानबे लाख मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की प्रायोजना की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण कार्य, उसी कार्यदायी संस्था /इकाई/खण्ड द्वारा सम्पादित कराया जायेगा, जिस कार्यदायी संस्था /इकाई/खण्ड द्वारा प्रस्ताव /आगणन द्वारा गठित है। यदि कार्यदायी संस्था का परिवर्तन अपरिहार्य हो तो उसी कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव का गठन कराकर सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त हीं कार्य प्रारम्भ किये जाय।

(4) प्रायोजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो की भी माहवार फेजिंग करते हुए निर्माण कार्य कराये जाए।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि कोई भी व्यय तब तक न किये जाये जब तक कि स्वीकृत आगणन के अन्तर्गत विस्तृत आगणनों को बनाकर उस पर सक्षम तकनीकी अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति न प्राप्त कर ली जाय। उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो, इसे निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्यो को निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के निर्देशन व उनके परामर्श से सम्पादित किये जायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त परियोजना हेतु अनुमोदित आगणन के अतिरिक्त पुनरीक्षित आगणन स्वीकार न किये जायेंगे तथा उक्त कार्य समयबद्ध सारणी बनाकर समाप्त किया जायेगा। स्वीकृत कार्य की वित्तीय /भौतिक प्रगति प्रत्येक माह कार्य समाप्ति के पश्चात प्रायोजना से संबंधित कार्य के सम्परीक्षित लेखे निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

5- परियोजना के कार्यो के ड्रांइग , डिजाइन तथा मानचित्र आदि सक्षम स्तर से अनुमोदित कराकर ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा/ इस निमित्त जिस किसी प्राधिकरण/संस्था आदि की स्वीकृति/अनुमति की आवश्यकता होगा, प्राप्त कर ली जायेगी/ प्रायोजना पर व्यय स्वीकृत आगणन की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी दशा में अधिक व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कार्य निष्पादन के उपरान्त स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि बच जाती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

6- निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों/मानकों /शर्तो के अनुरूप सम्पादित किया जाय।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-92 के लेखाशीर्षक -4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय -आयोजनागत-04-कला तथा संस्कृति -106-संग्रहालय-04- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन- 0401-ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों , संग्रहालयों के प्रतिरक्षण एवं सरंक्षण तथा प्रमुख विरासत स्थलों को जोडने वाली सड़को का सुदृीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या - 31 / 1065 (1)/चार-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, ग्लोबल कान्स्ट्राक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी, काम्पलेक्स , इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- अधिशासी अभियन्ता एवं नोडल अधिकारी, ग्लोबल कान्स्ट्राक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी, काम्पलेक्स , इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7- प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण इकाई, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, फैजाबाद।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मणीन्द्र शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in